संo संo–17/आरोप– 07/2018

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा0 ओमप्रकाश चौधरी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना एवं तत्कालीन अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोप वर्णित, सरकार के आदेश के उल्लंघन कर्तव्य में लापरवाही, उदसीनता, कदाचार, वित्तीय अनियमितता एवं राज्य के हितों पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलाप हेतु दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

उक्त डाo चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र "क" में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के अंतर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाए।

डाo चौधरी को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए डा0 राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17 को नियुक्त किया जाता है।

डाo चौधरी को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों का परीक्षण कराने के लिए इच्छुक हैं।

प्रपत्र "क" एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि प्रपत्र "क" की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 238(17) /स्वा, पटना, दिनांक :– 05/4/19

प्रतिलिपि :–साक्ष्य तालिका एवं प्रपत्र "क" की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, डा0 राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

04/04/19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 238(17) /स्वा, पटना, दिनांक :– 5/4/19

प्रतिलिपि :–साक्ष्य तालिका सहित प्रपत्र "क" की एक प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17 को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/04/19
सरकार के अवर सचिव।

D/Vibha g/Sankalp

ज्ञापांक :– 238(17) /स्वा, पटना, दिनांक :– 05/4/19

प्रतिलिपि :– डा० ओमप्रकाश चौधरी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना एवं तत्कालीन अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/04/19.

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 238(17) /स्वा, पटना, दिनांक :– 05/4/19

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(श्री कौशल किशोर) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

05/04/19.

सरकार के अवर सचिव।